राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/118
राजस्व वाद संख्या–12/2024
दायर दिनांक– 05.06.2024
निर्णय दिनांक–22.08.2025

उनवानी–

1. ताराचन्द पुत्र मंगला
2. भागचन्द पुत्र मंगला
   सर्वजाति मेघवाल सर्वनिवासी ग्राम पालड़ी पठांनान तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमाराम पुत्र लाला राम
2. जितेन्द्र भांभी पुत्र लाला राम
3. पंप्पूड़ी पत्नि लाला राम
4. रतन पुत्र गोपी
5. रामनिवास पुत्र गोपी
6. लाडा पुत्री तेजा
7. शांति पत्नि गोपी
8. सूजा पुत्र तेजा
9. सूरता पत्नि सत्यनारायण
10. नाबा0 प्रकाश पुत्र सत्यनारायण जरिये संरक्षक माता सूरता
11. नाबा0 सरिता पुत्री सत्यनारायण जरिये संरक्षक माता सूरता
12. इन्द्रा पत्नि अहमद
13. सुरेश पुत्र अहमद
14. रणजीत पुत्र अहमद
15. सेठू पुत्री अहमद

    अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 जाति भांभी

16. नाबा0 अनिता पुत्री सूरजमल जरिये संरक्षक माता लाडा
17. नाबा0 अनिल पुत्र सूरजमल जरिये संरक्षक माता लाडा
18. नाबा0 पवन पुत्र सूरजमल जरिये संरक्षक माता लाडा
19. नाबा0 मनसा देवी पुत्री सूरजमल जरिये संरक्षक माता लाडा
20. नबा0 सुनिता पुत्री सूरजमल जरिये संरक्षक माता लाडा
21. नाबा0 राजू पुत्र कैलाश जरिये संरक्षक माता गीता देवी
22. नाबा0 अनिल पुत्र कैलाश जरिये संरक्षक माता गीता देवी
23. सन्जू पुत्री कैलाश
24. गीता देवी पत्नि कैलाश
25. मन्जू पुत्री कैलाश
26. केली पत्नि किशनाराम
27. ग्यारसी देवी पत्नि मोहन
28. छगन पुत्र किशनाराम
29. छोटू पुत्र रामपाल
30. पप्पू पुत्र किशनाराम
31. परमेश्वर पुत्र मोहन
32. परसाराम पुत्र मोहन
33. पोखर पुत्र किशनाराम
34. बालमुकुन्द पुत्र मोहन
35. बिरदा पुत्र रामपाल
36. महावीर पुत्र पूषा
37. मिठू पुत्र मांगू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

38. रतन उर्फ रतनाराम पुत्र रामपाल
39. राधाकिशन पुत्र पूषा
40. रामजीवण पुत्र बिरदा
41. लाली देवी पुत्री मोहन
42. शंकर पुत्र मांगू
43. सर्वेश्वर पुत्र किशनाराम
44. सीता पुत्री पूषा

अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 44 जाति कुम्हार

45. हरि पुत्र भंवर लाल जाति गुर्जर **(DELETE)**

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 45 निवासी ग्राम पालड़ी पठानान तहसील रूपनगढ़

46. हीरा पुत्र काना जाति खटीक निवासी बबायचा तह0 अजमेर जिला अजमेर
47. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की वाकै ग्राम पालड़ी पठानान पटवार हल्का पींगलोद भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 334/38 क्षेत्रफल 0.9748 है0 भूमि में संयुक्त संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि से लगी हुई उत्तर दिशा में आम रास्ता की भमि लगी हुई है तथा पश्चिम दिशा की अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 45 की भूमि की सीमा लगी हुई है पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की भूमि लगी हुई है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 46 की सीमा लगी हुई है इसलिये पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है एवं लड़ाई—झगड़ा करते है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 46 तक के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ांवा मिल सकता है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से संयुक्त खातेदारी की कृषि आरजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी जब 20.05.2024 को अपने खेत की देखरेख करने व सुड़ करने गये तब अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने गाली गलोच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि ब्लात कब्जा करने की धमकी दी और कहा तुझे खेती करने का अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हआ है। अप्रार्थी संख्या 47 को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 6 से 44 व 46 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 47 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी पठानान के ख0न0 334/38 क्षेत्रफल 0.9748 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)